

1277



भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 1976/चैत्र 12, 1898

No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1976/CHAITRA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 1st April 1976

S.O. 274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 139A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the 1st day of April, 1976 as the date from which all permanent account numbers allotted to assesseees before the said date shall be deemed to have been allotted to them under the provisions of section 139A of the said Act.

[No. 1277/E. No. 142(T6)/76-T.P.L.]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

## केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का० आ० 274(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1 का 43) की धारा 139क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 1976 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट करती है जिससे उक्त तारीख के पूर्व निर्धारितियों को दिए गए सभी स्थायी लेखा संख्यांक उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 139क के उपबन्धों के अधीन दिए गए समझे जाएंगे।

[सं० 1277/फा० सं० 142(16)/76-टी०पी०एल०]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव ।